प्रेस नोट
दिनांक 07.05.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 203/2025 धारा 103(1),109(1) बीएनएस दृसे सम्बन्धित नामित हत्याभियुक्त रिजवान पुत्र शरीफ निवासी पोर्टरगंज, पथवलिया थाना को0 नगर जिला गोण्डा को गोण्डा–लखनऊ मार्ग पर चौपाल सागर के पहले मोकलपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 5/6.05.2025 की रात्रि लगभग 12:30 बजे थाना को0 देहात क्षेत्रान्तर्गत एक गंभीर आपराधिक घटना घटित हुई। जिसमें अभियुक्त रिज़वान पुत्र शरीफ निवासी पथवलिया, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा ने अपनी पत्नी माजिया एवं मित्र सर्वेश उर्फ गुड्डू पाण्डेय पुत्र सुरेश नारायण पाण्डेय निवासी सिविल लाइन, अफीम कोठी, थाना कोतवाली नगर को जयपुरिया स्कूल के पास स्थित अपने किराये के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस पर क्षुब्ध होकर अभियुक्त रिज़वान द्वारा दोनों के सिर पर फावड़े से प्रहार कर दिया गया, जिससे सर्वेश पाण्डेय की मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं महिला माजिया गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना प्राप्त होते ही उच्चाधिकारीगण एवं थाना कोतवाली देहात पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे। घायल महिला को उपचार हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के पश्चात उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक के पिता की तहरीर पर थाना कोतवाली देहात में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 07.05.2025 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रिज़वान पुत्र शरीफ को गोंडा–लखनऊ मार्ग पर चौपाल सागर के पास मोकलपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रिजवान पुत्र शरीफ निवासी पोर्टरगंज, पथवलिया थाना कोतवाली नगर जिला गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 203/2025 धारा 103(1),109(1) बीएनएस दृथाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

गिफ्तारी का स्थान–

गोण्डा–लखनऊ मार्ग पर चौपाल सागर के पहले मोकलपुर मोड़ के पास से

गिरफ्तार कर्ता टीम–

1. प्र0नि0 संजय कुमार सिंह
2. उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह
3. हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव
4. का0 जागेश्वर गौड़
5. का0 रोहित कुमार सिंह
6. म0का0 कोमल तिवारी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07.05.2025

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से जमीन बैनामा करा लेने की घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–108/25, धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजेश झां पुत्र स्व0 श्रीधर झां नि0 ग्राम लवकुश नगर थाना को0 अयोध्या जनपद अयोध्या को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 20.04.2025 को वादी श्यामलाल पुत्र अयोध्या नि0 महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी रंगा गौतम पुत्र दुःखहरण द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसकी जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया गया है। वादी की तहरीर पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 07.05.2025 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी आरोपी अभियुक्त राजेश झां (गवाह) को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राजेश झां (गवाह) पुत्र स्व0 श्रीधर झां नि0 ग्राम लवकुश नगर थाना को0 अयोध्या जनपद अयोध्या।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–108/25, धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 विभव तिवारी।
02. का0 नरेन्द्र सिंह।
03. का0 प्रदीप मौर्या।
04. का0 यशवन्त यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 07.05.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–353/25, धारा 331(4),305 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शराफत पुत्र राज नि0 सिविल लाइन काशीराम कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को आसरा आवास जाने वाले रोड से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 अदद चोरी की बैट्री बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 06.05.2025 को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री पूनम कश्यप द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि कलेक्ट्रेट कैम्पस स्थित कार्यालय से किसी अज्ञात चोर द्वारा यू0पी0एस0 की बैट्री व अन्य समान चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 07.05.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त शराफत को आसरा आवास जाने वाले रोड से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 अदद चोरी की बैट्री बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. शराफत पुत्र राज नि0 सिविल लाइन काशीराम कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–353/25, धारा 331(4),305,317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 02 अदद बैट्री।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 राकेश कुमार।
02. हे0का0 कुंदन कुमार।
03. का0 अमित यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 07.05.2025</u>

<u>साइबर कवच अभियान के तहत सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्र/छात्राओं के अलंकरण समारोह के दौरान साइबर अपराधों के प्रति किया गया जागरूक–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 07.05.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे साइबर जागरूकता अभियान साइबर कवच के अन्तर्गत सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोंडा में सत्र 2025–26 के छात्र–छात्राओं के लिए अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि क्षेत्राधिकारी श्री उदित नारायण पालीवाल, साइबर एक्सपर्ट हरिओम टंडन द्वारा साइबर क्राइम से जुड़े आधुनिक खतरों पर विस्तृत जानकारी दी गयी तथा सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग की दिशा में जागरूक किया गया। सर्वप्रथम स्कूल प्रबन्धिका सुजैन दत्ता द्वारा क्षेत्राधिकारी महोदय को हरियाली का प्रतीक पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरूआत की गयी। क्षेत्राधिकारी महोदय एवं साइबर एक्सपर्ट हरिओम टण्डन द्वारा उपस्थित समस्त शिक्षकगण एवं छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध की जानकारी दी गयी एवं बताया कि एटीएम में ट्रांजेक्सन करते समय अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे, बैंक के नाम पर टेलीफोन कॉल पर एटीएम/बैंक अकाउंट्स सम्बन्धी कोई जानकारी जैसे ओटीपी, सीसीवी नम्बर आदि कभी भी किसी से साझा न करे। बीमा कम्पनी, नौकरी.कॉम के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। इस प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली–भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। कोई कम्पनी कम लागत में अधिक पैसे कमाने का लालच देती है तो सावधान रहिये ऐसी कंपनी फर्जी होती हैं जो आपका पैसा लेकर कंपनी को बंद कर भाग जाते हैं। ठगों द्वारा फर्जी ऑफिस खोलकर, कम ब्याज दर पर अधिक लोन, बिना किसी कागज के आसानी से लोन दिलवाने हेतु फर्जी विज्ञापन प्रसारित किया जाता है और प्रोसेसिंग फीस के रुप में एकाउंट में रुपये जमा कराके फरार हो जाते है। मोबाइल व सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के सुरक्षित प्रयोग के बारे में भी बताया गया। छोटी–छोटी बातों को ध्यान में रखकर इंटरनेट प्रयोग किये जाने पर साइबर अपराध के शिकार होने से बचा जा सकता है। जागरूक बनें और अपने धन की स्वयं सुरक्षा करने के सिद्वान्त पर काम करें। इसी दौरान कार्यक्रम में उपस्थित स्कूल के छात्र व स्टाफ को पम्पलेट वितरित किये गये तथा स्कूल के अन्य छात्रों को जागरुक करने हेतु पोस्टर एवं बुकलेट उपलब्ध करायी गयी तथा साइबर हेल्पलाइन नं0–1930, वूमेन हेल्पलाइन 1090 की भी जानकारी दी गयी।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 07.05.2025</u>

<u>थाना को0 नगर पुलिस द्वारा बलवा करते हुए जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–327/25, धारा 191(2),115(2),352,351(3),125,118(1),324(4),109 बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों–01. विकास गुप्ता उर्फ जोखू पुत्र पप्पू गुप्ता नि0 मोहल्ला सुभाष नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा, 02. विकास पुत्र जयचन्द्र उर्फ जयकुमार नि0 मोहल्ला पटेल नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को विनोद टाकीज जाने वाली गली से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 29.04.2025 को वादी अनिल कुमार सोनी पुत्र बैजनाथ सोनी नि0 मोहल्ला सुभाषनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी सोनू व उसका पुत्र राहुल अपने दोस्तों के साथ मिलकर बलवा करते हुए उसे व उसके परिजनों को गाली–गुप्ता देते हुए मारा–पीटा गया है तथा राहुल सोनी द्वारा जानलेवा हमला करते हुए आर्यन सोनी के ऊपर चाकू से हमला कर उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया है। वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 07.05.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्तों–01. विकास गुप्ता उर्फ जोखू पुत्र पप्पू गुप्ता नि0 मोहल्ला सुभाष नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा, 02. विकास पुत्र जयचन्द्र उर्फ जयकुमार नि0 मोहल्ला पटेल नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को विनोद टाकीज जाने वाली गली से गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण–</u>

01. विकास गुप्ता उर्फ जोखू पुत्र पप्पू गुप्ता नि0 मोहल्ला सुभाष नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. विकास पुत्र जयचन्द्र उर्फ जयकुमार नि0 मोहल्ला पटेल नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0स0–327/25, धारा 191(2),115(2),352,351(3),125,118(1),324(4),109 बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 मनीष कुमार।
02. का0 दीपक कुमार।
03. का0 अवधेश यादव।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 07.05.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा 02 चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी 02 अदद बैट्री व 01 अदद ई–रिक्शा बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–303/25, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोरों–01. अरविन्द पुत्र स्व0 सुशील नि0 खैरा कुम्भनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा, 02. पवन उर्फ जोखू पुत्र शोभाराम नि0 पचरन पृथ्वीनाथ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को सतईपुरवा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद बैट्री व 01 अदद ई–रिक्शा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 20.04.2025 को वादी छोटकन पुत्र काशिम नि0 शुकुल पुरवा घुसियाना कटहामाफी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि वह सुबह अपनी बैट्री रिक्शा लेकर स्टेशन सवारी बैठाने गया था। जहां से अज्ञात चोरो द्वारा उनका बैट्री रिक्शा चोरी कर लिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ आज दिनांक 07.05.2025 को विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्तों–01. अरविन्द पुत्र स्व0 सुशील नि0 खैरा कुम्भनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा, 02. पवन उर्फ जोखू पुत्र शोभाराम नि0 पचरन पृथ्वीनाथ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को सतईपुरवा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद बैट्री व 01 अदद ई–रिक्शा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अरविन्द पुत्र स्व0 सुशील नि0 खैरा कुम्भनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. पवन उर्फ जोखू पुत्र शोभाराम नि0 पचरन पृथ्वीनाथ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–303/25, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 02 अदद बैट्री।
02. 01 अदद ई–रिक्शा

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अंकित उपाध्याय।
02. हे0का0 अभय प्रताप।
03. का0 जसीम अहमद।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07.05.2025

जनपद गोण्डा में युद्धकालीन परिदृश्य पर आधारित एयर रेड एवं सिविल डिफेंस मॉकड्रिल का हुआ आयोजन

पुलिस महानिरीक्षक देवी पाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अमित पाठक] जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के नेतृत्व में जनपद गोण्डा में आज दिनांक 07.05.2025 को युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने की प्रशासनिक तत्परता का परीक्षण करने हेतु एक व्यापक एयर रेड एवं सिविल डिफेंस मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉकड्रिल का आयोजन जनपद के प्रतिष्ठित शहीदे आजम सरदार भगत सिंह (टामसन) इंटर कॉलेज में किया गया।

इस मॉकड्रिल में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री राधेश्याम राय नोडल अधिकारी की भूमिका में रहे, जबकि विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, राजस्व, अग्निशमन, स्वास्थ्य, विद्युत, नगर निकाय, शिक्षा, सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस, तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समन्वित सहभागिता निभाई।

यह मॉकड्रिल एक युद्धकालीन परिदृश्य पर आधारित थी जिसमें यह मान लिया गया कि शत्रु देश द्वारा जनपद पर संभावित हवाई हमला किया गया है। इस स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही, आपदा प्रबंधन प्रणाली की तत्परता, तथा समन्वय कार्यप्रणाली की प्रभावशीलता का वास्तविक आकलन किया गया।

मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को युद्धकालीन परिस्थितियों में सतर्कता एवं सुरक्षा के उपायों का प्रशिक्षण देना, प्रशासनिक विभागों, आपदा प्रबंधन इकाइयों और सेवा प्रदाता एजेंसियों की तैयारियों का मूल्यांकन करना व आम जनमानस में आपदा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और अफवाहों से बचने का संदेश देना था।

मॉकड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली का परीक्षण 06:00 से 06:02 बजे तक सायरन बजाकर पूर्व चेतावनी जारी की गई व पूरे नगर में मॉक सायरन सिस्टम के माध्यम से नागरिकों को सूचित किया गया। बंकर में सुरक्षित प्रवेश एवं सतर्कता का अभ्यास 06:02 से 06:10 बजे हुआ जिसमें एनसीसी कैडेट्स एवं सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों को बंकर में सुरक्षित प्रवेश कराया गया। हवाई हमला एवं गोलाबारी का काल्पनिक प्रदर्शन 06:10 से 06:15 बजे तक ध्वनि प्रभावों द्वारा रॉकेट हमले व बम गिरने की स्थिति के माध्यम से अनुकरण किया गया। युद्ध समाप्ति की घोषणा 06:15 से 06:18 बजे तक सायरन के माध्यम से दी गई। आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण व राहत कार्य 06:18 से 06:45 बजे तक अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक आग बुझाने का प्रदर्शन किया गया तथा नागरिकों को अग्निकांड की स्थिति में प्राथमिक बचाव उपायों की जानकारी दी गई।

प्राथमिक चिकित्सा एवं घायल नागरिकों का उपचार 06:45 से 07:00 बजे तक स्वास्थ्य विभाग एवं स्वयंसेवकों द्वारा घायल नागरिकों को प्राथमिक उपचार व एम्बुलेंस सहायता प्रदान कर की गयी। बिजली बंद (ब्लैकआउट) अभ्यास व रात के समय निर्धारित अवधि में बिजली बंद कर नागरिकों को अंधकार में रहने का अभ्यास कराया गया ताकि शत्रु को लक्ष्य निर्धारित करना कठिन हो। संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा व अस्पताल, थाना, संचार केन्द्रों पर विशेष सुरक्षा उपाय एवं नकली छावनियाँ स्थापित की गई। **महोदय द्वारा बताया गया कि यह मॉकड्रिल न केवल प्रशासनिक दक्षता और विभागीय समन्वय का परीक्षण था, बल्कि इसने जनमानस में आपदा के प्रति गंभीरता और सतर्कता का भाव भी जागृत किया। युद्ध या किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी अत्यंत आवश्यक है, और इस प्रकार के अभ्यास से जनपद गोण्डा अब और अधिक सक्षम एवं सजग हुआ है। यह मॉकड्रिल पूरी तरह से अभ्यास था, कृपया इसे लेकर कोई भ्रांति अथवा दहशत न फैलाएं। इसका उद्देश्य केवल जनजागरूकता एवं आपदा से निपटने की तत्परता को सुनिश्चित करना था।**

महोदय द्वारा जनपद के नागरिकों को युद्धकालीन एडवाइजरी जारी करते हुए बताया गया कि ऐसी स्थिति में शांत रहें और अफवाहों से बचें, केवल अधिकृत स्रोतों से प्राप्त सूचना पर ही विश्वास करें। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं। सुरक्षित स्थानों की जानकारी रखें व अपने घरों के आसपास के बंकर या सुरक्षित स्थानों को पहचानें साथ ही खिड़कियों व दरवाजों से दूर रहें, आंतरिक कमरों में आश्रय लें। आपातकालीन किट तैयार रखें व पानी, सूखा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, टॉर्च, बैटरी, पहचान पत्र, नकदी, दस्तावेज़ों की प्रतियाँ रखें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें व किसी भी आपदा की स्थिति में संयम रखें और बचाव टीमों के साथ सहयोग करें।

मीडिया सेल, गोण्डा